

न्याय आपके द्वार अभियान केम्प कोर्ट कुराड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास  
मि०न०: 332/2015

भवरलाल पुत्र केशर जाति कराड निवासी कुराड तहसील कनवास ।

- प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा ।

- अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अ०धा० 136 आरटीएक्ट

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ०धा० 136 आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास में खाता सं० नई 412 के खसरा न. 1061 की रकबा 0.28 है० किस्म चाही अलीफ लगानी 9.80 रुपये स्थित है। जिसके हाल सेटलमेंट सम्वत 2058-2077 के पूर्व साबिक खसरा न. 652 की रकबा 1 बीधा 14 बिस्वा थें।

प्रार्थी के खाते एवं कब्ज काश्त की आराजी प्रार्थना पत्र के पेरा न.1 में वर्णित आराजी के हाल सेटलमेंट सम्वत् 2058 से 2077 के पूर्व का नक्शा ट्रैस सही हुआ था जिसमें प्रार्थी के खेत का रकबा पूरा बैठता था लेकिन हाल सेटलमेंट के समय उक्त आराजी का नक्शा ट्रैस त्रुटिपूर्ण बना दिया तथा वर्तमान नक्शा ट्रैस के मुताबिक प्रार्थी की उक्त आराजी का क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा रकबा नहीं आ रहा है तथा नया नक्शा ट्रैस में मुताबिक रकबा कम पड रहा है। अतः नक्शा ट्रैस सेटलमेंट सम्वत् 2058-2077 के पूर्व के नक्शा ट्रैस के मुताबिक दुरस्त किया जावे तथा नया नक्शा ट्रैस मुताबिक क्षेत्रफल अनुसार रकबा पूरा किया जावे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हो वही भी प्रार्थी को दिलवाई जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (मि०न०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । अप्रार्थी सरकार की ओर से जयें तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया कि साबिक ख.न. 652 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि का हाल ख.न. 1061 रकबा 0.28 है0 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बना है जो जमाबंदी एवं नक्शा में सही अंकित हैं इन्द्राज दुरस्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र न्याय आपके द्वार अभियान के तहत ग्राम पंचायत कुराड में आयोजित कोर्ट केम्प में पेश हुआ ।

प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रेकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार तहसीलदार कनवास द्वारा अवगत करवाया है कि प्रार्थी के खाते के मुताबिक रेकार्ड सही है दुरस्ती की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
कनवास कोटा (राज०)